न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

नवान:– सरपंच ग्रम चन्दपुरा बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म:– प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्ट 1957

मु.न.– वि 19 / वर्ष 2025

दिनांक		
29/1/25	**आज्ञा पत्र** तहसीलदार सीकर ग्रामीण द्वारा राजस्व ग्राम चन्दपुरा पटवार हल्का चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण व जिला सीकर के खसरा नम्बर 1184/271 व 1528/213 में से प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् पत्र कमांक:– भू.अ./2025/124 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा प्रस्ताव मय नक्शा भिजवाया गया है। प्रस्ताव प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सीकर ग्रामीण द्वारा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत् प्रस्ताव मय अभिशंषा भिजवाया गया। तहसीलदार सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट के आधार पर मौके पर प्रस्तावित रास्ता चालू है तथा आवागमन हो रहा है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, रिपोर्ट पत्रादि का अवलोकन किये जाने के तदोपरान्त पाया गया कि उक्त ख. न. में से समस्त खातेदारों द्वारा प्रस्ताव पर किसी प्रकार की सहमति नहीं दी गई है। उक्त खातेदार को सूचित करने के लिए नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 10.02.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सीकर	
10/2/25	पत्रावली पेश। खातेदार कमला देवी पत्नी हुकम चन्द द्वारा सहमति पत्र पेश किया गया। सहमति पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि मेरे हिस्से की भूमि हिस्से अनुसार रास्ता कायम किया जाता है जो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अतः खातेदार की सहमति से तहसीलदार सीकर ग्रामीण द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तथा ख.न. 1184/271, 1528/213 में रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली रहेगा। ~~पत्रावली~~ रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली नियमानुसार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज इजलास में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, सीकर	